उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-140/2017/1387/92-2-17-10जांच/2013
लखनऊ:: दिनांक:: 09 अगस्त,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, के पद पर कार्यरत रहते हुए श्री के0सी0 श्रीवास्तव द्वारा सम्पादित कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 (तकनीकी सम्प्रेक्षा प्रकोष्ठ) जॉच में की गयी अनियमितताओं हेतु पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन न किये जाने के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-135/92(प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10-04-2014 द्वारा श्री के0सी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री श्रीवास्तव का स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में पत्र दिनांक 28.03.2016, 29.07.2016 एवं 10.03.2017 द्वारा अनुस्मरण कराया गया परन्तु श्री श्रीवास्तव द्वारा अपना बचाव उत्तर शासन में प्रस्तुत नही किया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री के0सी0 श्रीवास्तव का बचाव उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में उनके विरूद्व निर्गत कारण बताओ नोटिस व संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री के0सी0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधिशासी अभियंता पर विकासखण्ड- कासिमाबाद के मार्ग निर्माण में लेपन का कार्य पूर्ण न कराने, सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा दिनांक 19-12-2011 से 30-12-2011 तक कार्य करने के उपरान्त कार्य बन्द कर दिये जाने के बाद भी अनुबन्ध निरस्त न कर किसी अन्य एजेन्सी से न कराया जाना, कार्य पूर्ण कराने में रूचि न लेना, इसी प्रकार पैदल पुलिया निर्माण कार्य में भी अनुबंध के अनुसार समय से कार्य न कराने व पुल पर चढने हेतु समुचित व्यस्था न करने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उक्त सन्दर्भित कारण बताओ नोटिस का उत्तर न दिया जाना तथा निर्माण कार्यो पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से न किया जाना श्री श्रीवास्तव की अनुशासनहीनता/लापरवाही को प्रमाणित करता है। उक्त हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-135/92 (प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10-04-2014 द्वारा श्री के0सी0 श्रीवास्तव,, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व निर्गत कारण बताओ नोटिस को उनकी "सत्यनिष्ठा संदिग्ध" करते हुये निम्नवत "**परिनिन्दा**" दण्ड के साथ एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में प्रभारी अधिशासी अभियंता के रूप में कराये गये निर्माण कार्यो के पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता/लापरवाही बरतने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी कारण बताओ नोटिस का उत्तर न दिये जाने की अनुशासनहीनता के लिए श्री के0 सी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर को **परिनिन्दित** किया जाता है।" यह परिनिन्दा वर्ष 2016-17 के लिये मानी जायेगी।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-140 / 2017 / 1387 / (1) / 92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री के0सी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रविष्टि श्री के0सी0 श्रीवास्तव के चरित्र पंजिका में रखी जाय।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।